उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F01247/सी-१/एन०ओ०सी०/जी-७४६/२०१२ दिनांक 20-3-12

सेवा में,

मे0 मैसर्स गुलमोहर रेजीडेन्सी । प्रमोटर मै० एस०वी०पी० बिल्डर्स प्रा० लि०।,
५२७/१, कनवनी, अहिंसा खण्ड, इन्दिरापुरम,
गाजियाबाद।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /नई इकाई की स्थापना हेतु/~~कार्यरत इकाई की उत्पादन~~ क्षमता में विस्तार /~~संयंत्रों के नवीनीकरण~~ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक १८/२/२०१२ का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

   (क) स्थल : गुलमोहर रेजीडेन्सी, खसरा नं० ५१९ एवं ५२७/१, कनावनी, अहिंसा खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद

   (ख) उत्पादन : आवासीय परियोजना

(ग) मुख्य कच्चे माल : ....

.... बिल्डिंग मैटेरियल ....

....

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : .... आवश्यकतानुसार ....

....

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा .... १०८ कि०ली० /दिन .... से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक .... ३१/१२/२०१२ .... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७– मैसर्स मैसर्स गुलमोहर रेजीजेनसी, (एस०वी०पी० बिल्डर्स इण्डिया लि०), खसरा ५१६ एवं ५२७/१, कनावनी अहिंसा खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद द्वारा कुल भूखण्ड क्षेत्रफल १२६६८. २७ वर्गमीटर व बिल्टअप क्षेत्रफल ३६४२३.८ वर्ग मीटर में ४४८ मकान की आवासीय , सामुदायिक केन्द्र एवं अन्य सुविधाओं युक्त टाउनसिप की स्थापना की जाये।

८– संस्था द्वारा परियोजना से जनित कुल घरेलू उत्प्रवाह १०८ घनमीटर/दिन को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के एस०टी०पी० के माध्यम से किया जाये। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा घरेलू उत्प्रवाह एस०टी०पी० से शुद्विकृत न करने पर परियोजना के संचालन से पूर्व संस्था द्वारा स्वयं का एस०टी०पी० स्थापित किया जाये।

९– संस्था द्वारा सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रबन्धन बायोकम्पास्टिंग एवं रिसाइकलिंग द्वारा प्रस्तावों के अनुरूप किया जाये।

१०– समस्त प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ–साथ बोर्ड मानको के अनुसार पर्याप्त ऊँचाई की चिमनी भी स्थापित की जायें।

११– संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

१२– संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार /स्टेट इन्वायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी से पर्यावरणीय क्लीरेन्स प्राप्त किया जाये।

१३– संस्था नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।

१४– संस्था को यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, १९७४ एवं वायु अधिनियम,१९८१ के प्राविधानों के अर्न्तगत निर्गत किया जा रहा है।

१५– संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा ली जायेगी एवं अधिनियमो के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है।

१६– अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता ५ वर्ष या बैक गारन्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष पूर्व तक जो कम हो मान्य होगी।

१७. उद्योग बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ ०१०२१/एन०ओ०सी०/जी'७४६/२०१२ दिनॉक १६/३/२०१२ के अनुक्रम में रूपये १०,०००,००.०० ।रूपये दस लाख मात्र। की बैंक पत्र निर्गमन की तिथि से २० दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में जमा करें, अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र रिवोक कर कार्यवाही की जा सकती है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एंव सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ३१/१२/२०१२............................ तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र :..................गाजियाबाद..................

....

2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :..................गाजियाबाद..................

....

4. ....

....

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्किल– १)